**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा**
**पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

| प्रकरण सं0 – | जी0सी0एम0एस0 नम्बर | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|---|
| 220 / 2024 / प्रार्थना पत्र | 2024 / 341 | 13.06.2024 | 12.08.2025 |

**अनवान**

मु. सायरी पुत्री मोहन लुहार निवासी खामोर तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीया

**:: बनाम ::**

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति – श्री त्रिलोकचंद नौलखा –अभिभाषक प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार –राज्य पक्ष

## निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 10.06.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की भूमि आराजी नम्बर 3197, 3198, 3275, 3276, 3277 स्थित होकर प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थीया के खातेदारी आराजियात में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थिया अपनी खातेदारी अधिकार की आराजी में बिलानाम सरकार गै0मु0 रास्ता अराजी संख्या 3290 से बिलानाम आराजी नम्बर 3287 से होकर अपनी आराजी 3277 पर पहुंचती है। ये ही एकमात्र रास्ता प्रार्थिया की आराजी पर पहुंचने के लिये है। एवं इसी रास्तो से प्रार्थिया अपनी अन्य कृषि आराजियात पर आने जाने कृषि उपकरण लाने ले जाने , फसल लाने ले जाने, हंकाई बुवाई हेतु ट्रेक्टर आदि लाती ले जाती रही है। किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से राजस्व कर्मचारी आये दिन प्रार्थिया को परेशान करते है तथा ग्रामवासी जबरन प्रार्थिया के पूर्व में स्थित आराजी नम्बर 3287 पर नाजायज कब्जा करने पर आमदा है। प्रार्थिया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी आराजियात पर पहुंचने हेतु नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थिया अपनी आराजियात का उपयोग उपभोग, काश्त करने, हंकाई बुवाई करने आदि से वंचित हो रही है। प्रार्थिया का जीवन कृषि पर निर्भर है। प्रार्थिया को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। इस कारण प्रार्थीया को अपनी आराजी पर पहुंच हेतु विपक्षी की आराजी में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि में पहुंच हेतु विपक्षी के स्वामित्व की आराजी संख्या 3287 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षी राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा भू0अ0निरीक्षक तहनाल को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में भू0अ0निरीक्षक तहनाल से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीया के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य

वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता लुघतम होकर केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। तहसीलदार द्वारा ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 3287 रकबा 0.42 है0 में से 0.0120 हैक्टेयर( 20 मीटर गुणा 6 मीटर / 120 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण को नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों / तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं भू0अ0निरीक्षक से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन / चिन्तन एवं भू0अ0निरीक्षक तहनाल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थीया को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। अतः ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 3287 रकबा 0.42 है0 में से 0.0120 हैक्टेयर(20 मीटर गुणा 6 मीटर / 120 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

## आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम खामोर प0म0 खामोर भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी तक पहुंचने हेतु विपक्षी की बिलानाम आराजी सं0 3287 रकबा 0.42 है0 में से 20 मीटर लम्बा × 6 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0120 है0 भूमि भूमि की आवश्यकता होगी इस प्रकार नवीन रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि 0.0120 हैक्टेयर(120 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थी के पक्ष में अदायगी / भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीया द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त मुताबिक प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

**आदेश आज दिनांक 12.08.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।**

( सुनील कुमार मीणा )
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा